

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA



एच. टी. फुलपाडिया
हरीशचन्द्र टी. फुलपाडिया
Harishchandra T. Fulgadia
उप ब्रिगेड अधिकारी
Dy. Passport Officer
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय
Regional Passport Office
मुंबई/MUMBAI

पासपोर्ट PASSPORT



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

7

पाशापोर्ट नं./ Passport No.

Z4485004

RIDHI ANIL

लिंग / Sex

Date of Birth

F

02/02/1993

DELHI, DELHI

जारी करने का स्थान / Place of issue

MUMBAI

जारी करने की तिथि / Date of issue

13/09/2017

12/09/2027

[illegible]

Z4485004<4IND9302028F2709123<<<<<<<<<<<<<<2

निष्कर्ष / OBSERVATION

निष्कर्ष सेवा / MISCELLANEOUS SERVICE

EMIGRATION CHECK REQUIRED



Z4485004

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

ANIL MAHAVIR PRASAD GUPTA

माता का नाम / Name of Mother

SANGITA ANIL GUPTA

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

पता / Address

3B, SATRA SIGNATURE, GULMOHAR CROSS ROAD NO 6 JUHU

VILE PARLE WEST, MUMBAI

PIN: 400049, MAHARASHTRA, INDIA

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of issue

Z2199001

29/03/2011

MUMBAI

फाइल नं. / File No.

B02071465623617

INDIAN PASSPORT

INDIAN PASSPORT

पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र में अपना पंजीकरण करवाएं।

धोखाधड़ी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट धारक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुम हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो-गाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को सतर्कता दी जानी चाहिए। विलुप्त पुनरावृत्ति के बाद ही दुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.